International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 02(I), April- June, 2026, pp. 177-181

मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली पर अध्ययन (नगरपालिका परिषद मन्दसौर के विशेष सन्दर्भ में)

Gaurav Nalwaya*

Research Scholar, Department of Social Science & Humanities, Pacific Academy of Higher Education and Research University (PAHER), Udaipur, Rajasthan, India.

*Corresponding Author: nalwayagaurav77@gmail.com

Citation: Nalwaya, G. (2026). मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली पर अध्ययन (नगरपालिका परिषद मन्दसौर के विशेष सन्दर्भ में). International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(I)), 177–181. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.2(I).9106

सार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में स्थानीय स्वशासन 'यदि भारत को अपना विकास करना है तो उसे बहुत सी चीजों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, केन्द्रीयकरण को कायम रखने के लिए हिंसा बल अनिवार्य है, जो में नही चाहता।' प्रस्तुत शोध पत्र म.प्र. में स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिती, राजस्व स्त्रोत, प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन करनें पर आधारित है। केन्द्र सरकार द्वारा निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करनें के पश्चात् उनकी आर्थिक स्थिती को मजबुत करनें के लिए राजस्व वसूली एवं अन्य अधिकार प्रदाय किये हैं, उसके पश्चात् भी निकाय वित्तीय एवं प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उक्त अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय निकाय की शासन पर निर्भरता को जाननें में एवं नागरिक सुविधाओं के कुशलतम क्रियान्वयन का विश्लेषण करता है।

शब्दकोश: *स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिती, निकाय को संवैधानिक दर्जा, राजस्व वसूली, प्रशासनिक चुनौतियाँ, नागरिक सुविधाऐं।*

प्रस्तावना

म.प्र. देश का पहला राज्य जिसके द्वारा 73वाँ एवं 74वां संविधान संशोधन लागु किया गया। जिससे स्थानीय स्वशासन को विकास करनें में मदद मिल सके। नगरीय निकायों को प्राप्त अधिकार होने के पश्चात् भी उनकी आर्थिक स्थिती एवं कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह एवं चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। उक्त अध्ययन उन चुनौतियों के निवारण एवं आर्थिक स्थिती का मुल्यांकन, कार्यो की सफलता एवं कार्य प्रणाली के प्रभावी प्रदर्शन के लिए सहायक होगा।

प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य

- नगरपालिका परिषद मन्दसौर की आर्थिक स्थिती का आंकलन करना।
- नगरपालिका परिषद मन्दसौर के आमजन की सामाजिक स्थिती का आंकलन करना।

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

- नगरपालिका परिषद मन्दसौर की प्रशासनिक प्रणाली में वर्तमान में आ रही समस्याओं का अध्ययन करना।
- निकाय में विकास कार्यो के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
- निकाय के समक्ष प्रस्तुत हो रही प्रशासनिक वित्तीय आदी चुनौतियों एवं उन चुनौतियों का हल निकालनें हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र पृष्ठभूमि

"मन्दसौर प्राचीन समय से ही पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध रहा है। मन्दसौर मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन संभाग में स्थित है जो कि मालवा क्षैत्र में आता है, मन्दसौर शहर के उत्तर में नीमच, दक्षिण में रतलाम, तथा पूर्व व पश्चिम में राजस्थान राज्य से घिरा हुवा है। मन्दसौर शहर $24^{0}4'$ 19. 2″ N, $75^{0}4'$ 8.4″ E में स्थित है।

शहर के मध्य स्थित शिवना नदी के तट पर विश्व विख्यात भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है, मंदिर में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की एक मात्र अष्टमुखी प्रतिमा विराजित है (नेपाल के काठमांडु में स्थित भगवान पशुपतिनाथ महादेव की चारमुखी प्रतिमा विराजित है)।

5वीं शताब्दी ईस्वी में हूणों ने मंदसौर पर आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था उपरांत 6वीं शताब्दी ईस्वी में, मालवा के राजा यशोधर्मन ने हूणों को पराजित किया और मंदसौर पर अपना शासन स्थापित किया. यशोधर्मन के शासनकाल में मंदसौर का एक बार फिर से विकास हुआ। शहर के समीप सौंधवी में विजय स्तंभ स्थित है जो राजा यशोधर्मन की हुणों पर विजय को प्रदर्शित करती है। मंदसौर स्लेट पेंसिल, अफीम उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन के लिऐ भी पूरे मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है (स्लेट पेंसिल, अफीम का उत्पादन म.प्र. में सर्वाधिक मन्दसौर जिले में होता है)"

नगरपालिका परिषद मन्दसौर के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी

"नगर पालिका मन्दसौर का सर्वप्रथम गठन 7 दिसम्बर सन् 1895 को ग्वालियर रियासत के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर दफ्तर स्थापित किया गया जिसे टाऊन कमेटी के नाम से संबोधित किया जाता था। ईसवी सन् 1909 में ग्वालियर रियासत टाऊन कमेटी एक्ट लागु कर इन संस्थाओं की रचनाओं को व्यवस्थित किया गया, सन् 1911 में ग्वालियर म्युनिसिपल एक्ट लागु हुआ। ग्वालियर रियासत ने 1942 में नगरपालिकाओं को निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा शासित करनें का प्रावधान किया एवं श्री लक्ष्मीनारायण गनेड़ीवाल को इस स्थान पर पदांकित किया गया, नगरपालिका परिषद मन्दसौर का प्रथम निर्वाचन 27 जुलाई 1944 को हुआ। तद्समय मन्दसौर नगर 12 वार्डो में विभाजित था। इन वार्डो से निर्वाचित 12 सदस्य एवं 3 नामांकित सदस्य इस प्रकार कुल 15 सदस्य (पार्षद) प्रभावशील हुए।"[(2)]

"वर्तमान परिषद का कार्यकाल 13 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ, परिषद में कुल 40 पार्षद निर्वाचित हुए थे, उक्त परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से सम्पन्न हुआ।

मध्यप्रदेश में स्थानीय स्वशासन

मध्य प्रदेश का गठन 01 नवम्बर 1956 को सेन्ट्रल प्रोविंस, बरार मध्यभारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल को मिलाकर किया गया। स्थानीय शासन व्यवस्था को एकरुपता प्रदाय करनें के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाया गया। 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय त्रि–स्तरीय ढांचा कार्यरत है, जिसमें 16 नगर निगम (बड़े शहर), 99 नगरपालिका परिषदें (मध्यम शहर), और 298 नगर परिषदें (छोटे कस्बे) शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में नगरीय व्यवस्था निम्नानुसार है

त्रि–स्तरीय संरचना

- **नगर निगम (Municipal Corporation):** 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों के लिए (जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) कुल संख्या– 16
- **नगरपालिका परिषद (Municipal Council):** 20,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों के लिए कुल संख्या – 99
- **नगर परिषद/पंचायत (Nagar Parishad/Panchayat):** 5,000 से 20,000 के बीच की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए कुल संख्या – 298
- **चुनाव और संरचनाः** महापौर और पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नगर निगमों में महापौर–इन–कौंसिल (MIC) प्रणाली लागू है एवं नगरपालिका, नगर पारिषद में प्रेसीडेंट –इन–कौंसिल प्रणाली लागु है एवं परिषद निर्णय लेने वाली मुख्य संस्था है।
- **प्रशासनिक प्रमुखः** नगर निगम में आयुक्त और नगरपालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

आय के स्त्रोत

मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायत) के आय के मुख्य स्त्रोत दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं। कर राजस्व (टैक्स) और गैर–कर राजस्व। इसके साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भी इनके संचालन का प्रमुख हिस्सा हैं।

- **कर राजस्वः** सम्पत्ति कर, जलकर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर आदि।
- **गैर राजस्वः** उपयोगिता शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, जुर्माना आदि।
- सम्पत्तियों से आय।
- **राज्य एवं केन्द्र सरकार से अनुदानः** चुंगी, राज्य वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग आदि।

कार्य और शक्तियां

संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, अग्नि शमन, स्वच्छता, और बुनियादी ढांचे का विकास इनके कार्यों में शामिल हैं –

- नगर नियोजन शहर की योजना बनाना, जिसमें शहरी विकास शामिल है।
- भूमि उपयोग का विनियमन भूमि के उपयोग और भवनों के निर्माण का नियमन करना।
- आर्थिक और सामाजिक विकास समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाना।
- सड़कें और पुल सड़कों, पुलों और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव।
- जल प्रदाय घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति।
- लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कूड़ा–कचरा प्रबंधन और स्वच्छता का ध्यान रखना।
- अग्निशमन सेवाएँ आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का प्रबंधन।
- नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण, वानिकी और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना।
- कमजोर वर्गों का हित समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के हितों की रक्षा।

- गंदी बस्ती सुधार स्लम (झुग्गी–झोपड़ियों) का उन्नयन और सुधार।
- नगरीय निर्धनता उन्मूलन शहरी क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चलाना।
- शहरी सुख–सुविधाए पार्कों, उद्यानों और खेल के मैदानों की व्यवस्था और रखरखाव।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकासरू सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं को बढ़ावा देना।
- शमशान और कब्रिस्तान शवों को दफनाने, श्मशान घाटों और विद्युत शवदाह गृहों का प्रबंधन।
- पशु प्रबंधन कांजी हाउस बनाना और पशुओं के प्रति क्रूरता रोकना।
- जन्म–मरण सांख्यिकी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
- सार्वजनिक सुविधाए स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था।
- वध शालाओं का नियमन बूचड़खानों और चर्मशोधन शालाओं (TANNERIES) का नियमन।

नगरपालिका मन्दसौर में क्रियान्वित किये जा रहे प्रमुख विकास कार्यों में निम्नलिखित शामिल है :–

- निकाय क्षेत्र में सड़कें, नालियां, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और रखरखाव।
- निकाय क्षेत्र मे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सीवरेज नेटवर्क योजना वर्तमान में निर्माणाधीन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत घर–घर कचरा एकत्रिकरण।
- निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमतियां और अतिक्रमण हटाना।
- निकाय क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास।
- निकाय क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम।

विकास कार्यो में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाः** कर वसूली आधार कमजोर होना, वसूली समय पर न होना, कर राजनैनित प्रभाव होने से समय पर न बढ़ाए जाने से वित्तीय संकट बना रहता है तथा केन्द्र एवं राज्य आधारित योजनाओं में समय पर अनुदान प्राप्त न होने से भी योजनाऐं प्रभावित होती है।
- **कर्मचारीयों की कमीः** कर्मचारीयों के सेवा निवृत्ती होने एवं नवीन पद स्थापना न होने से कार्य कुशल क्षमता में प्रभाव पड़ता है।
- **जन भागीदारीः** योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासन एवं नागरिकोंबीच जनभागीदारी होना आवश्यक है जिससे योजनओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी जा सके।
- **राजनैतिक हस्तक्षेपः** स्थानीय नेताओं की राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव विकास कार्यों की प्राथमिकता को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

विकास कार्यो का क्रियान्वयन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कार्य की प्रगति के साथ–साथ चुनौतियाँ भी बनी रहती है। वित्तीय आत्मनिर्भता, प्रशासनिक अमले की कमी, जनभागीदारी एवं राजैनतिक प्रभाव के कारण शहरी विकास प्रभावित होते है। उक्त के निवारण के लिए कर वसूली को बढ़ाना जिसके अन्तर्गत समस्त वसूली एवं नागरिक जनसुविधाऐं, डिजिटल माध्यम से की जाना है। शासन द्वारा कर्मचारीयों के तकनिकी प्रशिक्षण एवं समयावधी में नवीन भर्ती की जाना शामिल है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी निगरानी एवं समन्वय से लागु किया जाना। उक्त समस्त पक्षों की समस्याओं का निवारण किया जाना आवश्यक है जिससे स्थानीय निकाय समावेशी एवं सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961।
2. शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट एवं विभिन्न दिशा निर्देश।
3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वेबसाईट एवं दिशा निर्देश।
4. Richa Pandey and Dr. Ramsiya Charmkar, नगरीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यो के क्रियान्वय की स्थितिः एक अध्ययन (म.प्र. के कटनी जिले के विशेष सन्दर्भ में)।
5. https://www.mpurban.gov.in/Uploaded%20Document/ULBs%20List/DIVISION_WISE_ULB_%20_.pdf
6. https://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/schedule_12.htm
7. Census India 2011

❑❑❑